राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 2842 दिनांकः 02.07.21

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर),
अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः—पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम।

महोदय,

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 15.06.2021 तक रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराए जाने हैं। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2020 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं। **इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा दिनांक दिनांक 31.01.2021 तक रिक्त हुए पदों के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार करा ली गई थी, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को किया गया था। अतः अब सिर्फ उन्हीं रिक्तियों के लिए मतदाता सूची अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की जानी है, जो दिनांक 01.02.2021 से 15.06.2021 के मध्य उत्पन्न हुई हैं।** ऐसी रिक्तियों की सूची परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है।

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय—3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियॉ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डो की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक—पृथक किया जाना है।

A- विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :—

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड **(रील) द्वारा सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों** के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डो के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से** कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। **उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें।**

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।**

3. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पत्रांक 1586 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, किन्तु कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा **उक्त सीमा को 1000 तक सीमित कर दिया गया है ताकि मतदान के समय मतदाताओं के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। अतः मतदान बूथ स्थापित करते समय एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 तक रखी जाए।**

4. पंचायत चुनाव में एक बूथ पर एक से अधिक वार्डो के मतदाता मत डाल सकते है। चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा–पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक–पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा।

5. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई वार्ड एक से अधिक जिला परिषद/पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो तो पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव हेतु उस वार्ड के लिए पृथक–पृथक बूथ स्थापित किए जाए।

6. प्रपत्र ए–1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगीः–

क.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए–1 को तैयार कर अपलोड करने की अंतिम तिथि	08.07.2021
2.	प्रपत्र ए–1 को ई–सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	09.07.2021
3.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	10.07.2021
4.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	14.07.2021
5.	संशोधित प्रपत्र–1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हो तो)	15.07.2021
6.	संशोधित प्रपत्र–1 को Process करने की अंतिम तिथि	
7.	प्रपत्र ए–1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	17.07.2021

7. प्रगणकों से प्रपत्र ए–1 तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख–रेख में ई–सूची पर **अपलोड करवाएगें।** उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा।

8. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का **प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों** द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए–1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए **संशोधित प्रपत्र ए–1 तैयार कर पुनः ई–सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर** संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:–

– :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: –

क.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	19.07.2021 (सोमवार) को
2.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.07.2021 (बुधवार) को
3.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	02.08.2021 (सोमवार) तक
4.	पूरक सूचियों की तैयारी	05.08.2021 (गुरूवार) तक
5.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	06.08.2021 (शुक्रवार) को

C. सामान्य निर्देश :–

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा–18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। **किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

3. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।

4. **चूंकि कोविड–19 अभी समाप्त नहीं हुआ हैं, अतः एक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय कोविड–19 संक्रमण से बचाव के लिए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र हेतु चयन किए गए कक्षों के मध्य पर्याप्त दूरी हो। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध अन्य किसी भवन में मतदान बूथ की स्थापना की जाए ताकि मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके।**

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग–अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (**परिशिष्ट–5**) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।

7. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी **आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। चूंकि कोविड–19 अभी समाप्त नहीं हुआ हैं, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावें एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावें एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।**

8. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रकिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम–15 व नियम–16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रकिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। **इस हेतु प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किया जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान भी कर लेवें।**

9. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई–सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

10. **नाम जोडने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत किए जा सकते है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का परामर्श है कि मतदाताओं को दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन माध्यम का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।** आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावें व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया ई–सूची ऑपरेशन मैन्युअल में बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त **ऑपरेशन मैन्युअल ई–सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।**

11. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के कम में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग के आदेश कमांक 5433/27.11.2019 (सांविधिक आदेश 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए है। इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के समय तैयार की जाने वाली प्रतियों के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 5520 दिनांक 28.11.2019 जारी किया हुआ है। उक्त पत्र पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या कमशः 44 एवं 49–50 पर उपलब्ध है।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

परिशिष्ट – 'A' पर उपलब्ध रिक्त पदों की सूची का मिलान आप द्वारा दिनांक 15.06.2021 तक के लिए प्रेषित रिक्तियों की सूचना से कर लेवे। यदि कोई रिक्ति सम्मिलित होने से रह गई हो या दिनांक 15.06.2021 के पश्चात् अन्य कोई रिक्ति उत्पन्न हो गई हो तो ऐसी रिक्ति को भी पुनरीक्षण कार्यकम में सम्मिलित कर लिया जाए एवं सूचना से आयोग को तुरन्त अवगत कराया जाए।

निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के दिन जिन रिक्तियों के लिए प्रारूप प्रकाशन किया गया है उनके पूर्ण विवरण सहित सूचना उसी दिन ई–मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए।

विशेष नोट – चूंकि कोविड–19 अभी तक समाप्त नहीं हुआ हैं, अतः संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाएः–

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान मास्क लगाना आवश्यक होगा एवं समय–समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट (2 गज) की दूरी रखी जाएगी।
3. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोन वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वांस लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
4. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

भवदीय,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/2843–47 दिनांकः 02.07.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक, REIL जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग।
5. संस्थापन/स्टोर/लेखा शाखा राज्य निर्वाचन आयोग।

2.7.2021
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट– 'A'

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण जिनकी निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला परिषद, प्रमुख / उप–प्रमुख / सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति में		पंचायत सर्किल में		
			पंचायत समिति का नाम	प्रधान / उप–प्रधान / पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत का नाम	सरपंच / उप–सरपंच	पंच वार्ड संख्याक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर		मसूदा		नन्दवाडा		5
			मसूदा		खरवा		11
			मसूदा		जीवाणा		3
			मसूदा		देवमगरी		6
			भिनाय		बडली		1
			सरवाड		बिडला		6
			केकडी		देवगांव		4
			अजमेर ग्रामीण		तबीजी		7
			अजमेर ग्रामीण		गोडियावास		7
			पीसांगन		मकरेडा		2
			पीसांगन		लीडी		5
			पीसांगन		लामाना		7
			जवाजा		काबरा	सरपंच	
			जवाजा		सातुखेड़ा		4
			जवाजा		रूपनगर		7
			जवाजा		तारागढ़		6
			जवाजा		सरमालिया		5
			जवाजा		राजियावास		5
			किशनगढ़		तिलोनिया		3
2.	बांसवाड़ा		आनंदपुरी		सेरानगला		3
			तलवाड़ा		फाटीखना केवडिया		5
			अरथुना		टामटिया राठोड		7
			घाटोल		रघुनाथ सिंह का गढा		6
			गढी		भीमपुर		5
			घाटोल		अमरथुन	सरपंच	
			घाटोल		छोटी पडाल		7
			बांसवाड़ा		पाडीकला		5
			गढी		कोटडा बडा		6
			घाटोल		जगपुरा	सरपंच	
			आनंदपुरी		नाहरपुरा		1
			घाटोल		देवदा		1
			कुशलगढ		बगायचा		7
			बांसवाड़ा		पाडीकला		3
			गढी		डकारकुण्डी		1
			तलवाड़ा		लोधा		5
3.	बाड़मेर		चौहटन		कापराऊ		5
			चौहटन		भोजारिया		1

			चौहटन		बाछडाऊ		7
			चौहटन		देदूसर		3
			धनाऊ		मीठे का तला		2
			धनाऊ		मीठे का तला		8
			धनाऊ		जाणियों की बस्ती	सरपंच	
			धनाऊ		बामणौर भंवरशाह		8
			धनाऊ		अमीमोहम्मद शाह की बस्ती		1
			फागलिया		एकल		1
			फागलिया		एकल		5
			गुडामालाणी		खडाली	सरपंच	
			आडेल		निम्बलकोट		3
			रामसर		देरासर		6
			रामसर		खारा राठौडान		1
			बाड़मेर		दरूडा	सरपंच	
			बाड़मेर ग्रामीण		नोख		1
			बाड़मेर ग्रामीण		सरणु चिमनजी		5
			बायतु		बोडवा		6
			बालोतरा		गोपडी		3
			बालोतरा	22			
			पाटोदी		मोहनपुरा		3
			कल्याणपुर		कल्याणपुर		4
			समदड़ी		खण्डप		5
			गड़रारोड़		गड़रारोड़		8
			गड़रारोड़		खुडाणी		4
			सेडवा		चिचडासर		1
			सिवाना		गोलिया		1
			सिवाना		मैली		2
4.	भीलवाड़ा		बदनोर		बदनोर		4
			बनेडा		बनेड़ा	सरपंच	
			बनेडा		खेड़लिया		7
			हुरड़ा		तस्वारिया	सरपंच	
		14	माण्डल		धुंवाला मां0		11
			शाहपुरा	3			
			सुवाणा		औज्याड़ा		1
			कोटडी		गेगा का खेड़ा		9
			सहाड़ा		कोशिथल		2
5.	बीकानेर		पांचू		जंगला		7
			बीकानेर		नाल बड़ी		17
			बीकानेर		नापासर		1
			बीकानेर		नापासर		4
			बीकानेर		गाढवाला		7
			कोलायत		सियाणा		4
			कोलायत		सुरजड़ा		7
			पूगल		सम्मेवाला		3
6.	बून्दी		तालेड़ा		डाबी		15
7.	चित्तौड़गढ़		चित्तौड़गढ़		ओछड़ी		2

			बड़ीसादड़ी		निकुम्भ		5
			भैंसरोड़गढ़		सणिता		10
			भैंसरोड़गढ़		खातीखेड़ा		8
			राशमी		पहूंना		5
			डूंगला		लोठियाना		3
			निम्बाहेड़ा		मण्डला चारण	सरपंच	
			निम्बाहेड़ा		गादोला		4
			कपासन		बालारड़ा		5
			कपासन		सुरपुर		4
			कपासन		धमाना		9
8.	चुरू		राजगढ़	14			
			राजगढ़		लसेड़ी	सरपंच	
			तारानगर		पुनरास		2
			तारानगर		पुनरास		7
			तारानगर		अलायला		9
			तारानगर		सारायण		11
			सरदारशहर	2			
			सरदारशहर		उडसर लोडेरा		9
			सरदारशहर		जैतासर		5
			सरदारशहर		मेलुसर		8
			सरदारशहर		अजीतसर		2
			चूरू		रिबिया	सरपंच	
			चूरू		जोड़ी पट्टा सांत्यू		7
			चूरू		चलकोई बणीरोतान		6
			रतनगढ़		मेलूसर		8
			रतनगढ़		गोलसर		5
			रतनगढ़		बीरमसर		4
			रतनगढ़		कुसुमदेसर		8
			सुजानगढ़		नोरंगसर	सरपंच	
			सुजानगढ़		भाषीणा		7
			सुजानगढ़		भाषीणा		5
			सुजानगढ़		बाघसरा आथुणा		10
			सुजानगढ़		बोबासर बीदावतान		11
			सुजानगढ़		आबसर		6
			बीदासर		रेड़ा		2
			बीदासर		ईंयारा		3
9.	डूंगरपुर		दोवडा		घटाऊ		2
			दोवडा		हिराता	सरपंच	
			दोवडा		घटाऊ	सरपंच	
			आसपुर	1			
			आसपुर		आसपुर		1
			साबला		भाडगा		2
			साबला		लेम्बाता		2
			साबला		माल		3
10.	हनुमागढ़		संगरिया		किशनपुरा उतराद्धा		10
			संगरिया		किकरावाली		6

			संगरिया		फतेहपुर		6
			हनुमानगढ़		गुरूसर		10
			पीलीबंगा		डबलीवास पेमा		12
			रावतसर		गंधेली	सरपंच	
			भादरा		छानी बड़ी		17
			भादरा		कलाना		2
			भादरा		बोझला	सरपंच	
			टिब्बी		4 केएसपी		11
11.	जैसलमेर		सांकड़ा	4			
			सांकड़ा		लावा	सरपंच	
			सांकड़ा		ओढाणियां		7
12.	जालोर		जालोर		बाकारा रोड		8
			जालोर		लेटा		11
			जालोर		दीगॉव		7
			भीनमाल		पुनासा		15
			सायला		तिलोडा		14
			सायला		राडवा		5
			सायला		विशाला		6
			जसवन्तुरा		तातोल		5
			बागोडा		डूगरवा		2
			सांचौर		भाद्ररूणा		3
			सांचौर		बावरला		9
			चितलवाना		सिपाहियों की ढाणी		5
13.	झालावाड़		डग		डोडी	सरपंच	
			अकलेरा		आमेठा	सरपंच	
			अकलेरा		घाटोली		5
14.	झुंझुनू		खेतड़ी		दुधवा नांगलिया		1
			नवलगढ़		जाखल		15
			मण्डावा		हनुमानपुरा		1
			नवलगढ़		खिरोड़		6
			अलसीसर		जावासर		1
			चिड़ावा		लाम्बा		4
			उदयपुरवाटी		टिटनवाड़		3
			उदयपुरवाटी		जोधपुरा		6
			उदयपुरवाटी		मणकरासा		11
			उदयपुरवाटी		छऊ		4
			पिलानी		भगीना		7
			सूरजगढ़		पिलोद		3
			नवलगढ़		राणासर		8
			झुंझुनू		इस्लामपुर		16
15.	नागौर		लाडनूं		गंगलपुर		6
			डीडवाना		सिंघाना		9
			डीडवाना		दुधौली		5
			जायल		धारणा		1
			जायल		गौराउ		4
			जायल		पिण्डिया		7
			नागौर		सथेरण		4

			मूण्डवा		थिरोद		4
			डेगाना		आन्तरोली कलां		1
			भैरून्दा		ढाणीपुरा		1
			मकराना		डोबड़ीकलां		13
			कुचामनसिटी		घाटवा		3
			कुचामनसिटी		खोरण्डी		10
			कुचामनसिटी		हिराणी		4
			कुचामनसिटी		शिव		1
16.	पाली		देसूरी		नाडाल		10
			सोजत		खारिया नीव		7
			सोजत		साडिया	सरपंच	
			सुमेरपुर		खिमाडा		8
			सुमेरपुर		कोरटा		6
			सुमेरपुर		धणा		9
			मा. जं.		कण्टालिया		16
			मा. जं.		मारवाड जक्शन		1
			मा. जं.		जाणुन्दा		3
			जैतारण		निम्बोल		6
			जैतारण		बिरोल		3
			जैतारण		निमाज		8
			रायपुर		अमरपुरा		2
			रायपुर		बाबरा		6
			रायपुर		कानुजा		4
			बाली		पीपला		2
			बाली		मोकमपुरा		6
			रानी		सिवास		7
17.	प्रतापगढ़		दलोट	5			
			धरियावद		गाड		1
			धरियावद		धरियावद		21
			प्रतापगढ़		कुणी		1
18.	राजसमंद		राजसमंद		बिलियावास		2
			राजसमंद		बोरवा		3
19.	सीकर		लक्ष्मणगढ		राजपुरा		5
			लक्ष्मणगढ		नरादड़ा		7
			नेछवा		काछवा		8
			धोद		जाना		4
			धोद		पुरोहितान		5
			पलसाना		लामिया		6
			दांतारामगढ		दूधवा		5
			दांतारामगढ		रामगढ		14
			दांतारामगढ		रामगढ		2
			नीमकाथाना		नाथा की नांगल		5
			श्रीमाधोपुर		कल्याणपुरा		10
			श्रीमाधोपुर		भारणी		3
			श्रीमाधोपुर		हांसापुर		8
			खण्डेला		सरगोठ		12

			खण्डेला		जुगलपुरा		3
			अजीतगढ		रायपुर जागीर		11
			फतेहपुर		बिरणियां	सरपंच	
			फतेहपुर		बालोद छोटी		4
			पिपराली		चैनपुरा		9
			पिपराली		कटराथल		4
			पिपराली		कुडली		5
20.	टोंक		टोंक		सोरणा		9
			निवाई		बररी		7
			निवाई		गुन्सी		2
			देवली		थांवला		8
			देवली		कासीर		12
			देवली		सावतगढ़	सरपंच	
			उनियारा		ढिकोलिया		6
			उनियारा		गोठड़ा		5
			मालपुरा		कलमण्डा		3
			टोडारायसिंह		इन्दोकिया		8
			टोडारायसिंह		दाबड़दूम्बा		1
			टोडारायसिंह		गोर		5
			टोडारायसिंह		गोपालपुरा		4
21.	उदयपुर		लसाड़िया		अम्गड़		2
			मावली		सागवा		1
		1	खेरवाडा		खाण्डीओवरी		2
कुल		2		7		22	216